तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 64/2025 बउनवान सवाईराम बनाम गोपाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 26.08.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत।
2. रेस्पों. संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री पूनमाराम चौधरी।
3. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। प्रार्थीगण/अपीलांट व प्रतिवादी/रेस्पों. सख्या 1 के संयुक्त व कब्जा–काश्त की भूमि गांव मूलकी ढाणी, तहसील कल्याणपुर में खसरा संख्या 1177 रकबा 5.7303 हेक्टेयर की भूमि जो मुख्य सड़क पर आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट व रेस्पों संख्या 1 का बहिस्सा काबिज काश्त है। अपने–अपने हिस्से में मौके पर रहवास, पशुओं का बाड़ा, टांका आदि बने हुए हैं। हस्तगत वादग्रस्त आराजी संयुक्त अविभाजित भूमि होने से भूमि पर बहैसियत संयुक्त कब्जा काश्त रहा है। अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में साबित होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.03.2024 को प्रार्थी/अपीलांट के हक में आदेश आदेश पारित करते हुए पत्रावली विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत की गई थी। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जबाव पेश किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 25.03.2025 को प्रार्थी व विप्रार्थीगण के वकील की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विपरीत है। इस अनुचित आदेश की अपील सक्षम न्यायालय अज अदालत में की गयी है। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाये रखने का आदेश पारित किया गया जो आज दिनांक तक प्रभावी है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे हैं। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्पों. द्वारा अपने धन एवं बाहुबल के जोर से हस्तगत प्रकरण की मुख्य वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1177 रकबा 5.7303 हेक्टेयर में मौके पर मजूदर लगाकर भारी मात्रा में निर्माण सामग्री डलवाकर अकृषि कार्य करते हुए निर्माण कार्य करवाने में लगा हुआ है। अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहे तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी संभव नहीं है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट्स की संयुक्त रेकार्डेड एवं कब्जा–काश्त शुदा आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा व संतुलन अपीलांट के पक्ष में होने के कारण से अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। दस्तावेजात सही हैं या नहीं यह दावे में तय होगा। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं है। अपीलांट द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई जिसमें अपीलांट को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1177 रकबा 5.7303 हेक्टेयर पर वर्तमान में मौके पर कब्जा–काश्त रेस्पों. सख्या 1 व अपीलांट दोनों का है। रेस्पों. द्वारा अपीलांट के कब्जा–काश्त में कभी भी दखलअंदाजी नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। रेस्पों. संख्या 1 हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड सहखातेदार एवं बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा–काश्त होने से मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् यह तथ्य प्रकट हुआ

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभय पक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। यद्यपि रेस्पों. हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है परन्तु बाबत् खातेदारी घोषणा का दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होने के दौरान वादग्रस्त आराजी का हस्तातंरण व खुर्द–बुर्द करने के डर से एवं वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने को ध्यान में रखते हुए खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी गाव मूलकी ढाणी, तहसील कल्याणपुर में खसरा संख्या 1177 रकबा 5.7303 हेक्टेयर भूमि के मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बेचान व हस्तातंरण नहीं करने हेतु उत्तरदातागण को पाबंद किया जाता है। उक्तानुसार अज अदालत के आदेश दिनांक 11.06.2025 को मूल वाद के निस्तारण तक कंन्फर्म (पुष्ट) किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

26/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर